N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0140 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 12/07/2024 19:10 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

 1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 04/07/2024 **Date To (दिनांक तक):** 11/07/2024

 Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 17:30 बजे **Time To (समय तक):** 08:10 बजे

 (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 12/07/2024 **Time (समय):** 16:00 बजे

 (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 12/07/2024 19:10:18 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

 1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 05 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

 (b) **Address(पता):** RICCO COLONY, BARMER

 (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

 Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAJENDRA KUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** MEHRARAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1982 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BALDEV NAGAR, BARMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BALDEV NAGAR, BARMER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SURENDRA KUMAR BANSAL		पिता:GANGAPRASAD	1. 284,AASHAPURNA CITY FAISE SECOND,GRAM PAL,JODHPUR,JODHPUR CITY,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 5,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बाड़मेर विषय- श्री सुरेन्द्र कुमार बंसल सहायक अभियन्ता जोधपुर डिस्कॉम रीको बाड़मेर को रिश्वती राशि लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाने बाबत्। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन मुझ राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री मेहराराम जाति जाट उम्र 42 वर्ष पैषा व्यापार निवासी बलदेव नगर बाड़मेर का इस प्रकार है कि मेरे पिताजी मेहराराम के नाम से पूर्व में व्यवसायिक विद्युत कनेक्षन लिया हुआ था, उक्त कनेक्षन सिंगल फेज का था एवं मैने उक्त कनेक्षन को थ्री फेज करवाकर लोड बढ़वाने के लिए पत्रावली तैयार कर जोधपुर डिस्कॉम के रीको बाड़मेर कार्यालय में जमा करवाई थी, जिस पर मेरी पत्रावली ऑनलाईन रिक्वेस्ट नम्बर 3000558066 दिनांक 28 जून 2024 को दर्ज की गई। मेरे पिताजी बुजुर्ग होने से समस्त कार्यवाही मेरे द्वारा ही की जा रही है। दिनांक 03.07.2024 को मैं उक्त कनेक्षन करवाने हेतु श्री सुरेन्द्र कुमार बंसल सहायक अभियन्ता से उनके कार्यालय में मिला एवं मेरी फाइल पर अग्रिम कार्यवाही कर थ्री फेज कनेक्षन करवाकर लोड बढाने बाबत निवेदन किया तो उन्हौने मुझे कहा कि मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन 20-25 हजार रुपये खर्चा-पानी करना पडेंगा, जिस पर मैने उनसे कहा कि मैं इतने रुपये कहा से लाउंगा, जिस पर उन्हौने कहा कि अगर काम करवाना है तो पैसे देने पडेंगे। मैं मेरे जायज कार्य करने की एवज में श्री सुरेन्द्रकुमार बंसल को रिष्वत नहीं देना चाहता हूँ, उनको रिष्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ। मेरी श्री सुरेन्द्रकुमार बंसल सहायक अभियन्ता से कोई दुष्मनी या रजिंष नहीं है, न ही हमारा कोई पुराना लेन-देन बाकी है। मैं मेरे द्वारा आवेदन किये गये प्रपत्र की प्राप्ति रसीद की छाया प्रति प्रस्तुत कर रहा हू। अतः कानूनी कार्यवाही करे। दिनांक 04.07.2024 -एस.डी.- गवाह श्री मूलाराम कनिष्ट सहायक/11.07.2024प्रार्थी -एस.डी.- (राजेन्द्र कुमार) निवासी बलदेव नगर बाड़मेर मोबाईल नम्बर -एस.डी.- गवाह श्री अरूणकुमार वरिष्ठ सहायक/11.07.2024 -एस.डी.- किशनसिंह चारण उप अधीक्षक पुलिस, कार्यवाही पुलिस निवेदन हैं कि उपरोक्त लिखित रिपोर्ट दिनाँक 04.07.2024 वक्त 05.30 पी.एम. पर प्रार्थी श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री मेहराराम जाति जाट उम्र 42 वर्ष पैषा व्यापार निवासी बलदेव नगर बाड़मेर ने ब्यूरो कार्यालय बाड़मेर पर उपस्थित होकर मन् किशनसिंह चारण उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष एक हस्तलिखित लिखित रिपोर्ट मय संलग्न स्व-प्रमाणित आधार कार्ड प्रति व आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद की छाया प्रति के इस आश्य की पेश की कि मेरे पिताजी मेहराराम के नाम से पूर्व में सिंगल फेज व्यवसायिक विद्युत कनेक्षन लिया हुआ था, इसे थ्री फेस में करवाकर लोड बढाने हेतु पत्रावली तैयार कर जोधपुर डिस्कॉम के रीको बाड़मेर कार्यालय में मेरी पत्रावली ऑनलाईन रिक्वेस्ट नम्बर सीपी3000558066 दिनांक 28 जून 2024 को जमा करवाई गई। मेरे पिताजी बुजुर्ग होने से समस्त कार्यवाही मेरे द्वारा ही की जा रही है। दिनांक 03.07.2024 को मैं उक्त कनेक्शन करवाने हेतु श्री सुरेन्द्र कुमार बंसल सहायक अभियन्ता से उनके कार्यालय में मिला एवं मेरी फाइल पर अग्रिम कार्यवाही कर थ्री फेज कनेक्शन करवाकर लोड बढाने बाबत निवेदन किया तो उन्होनें मुझे कहा कि मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन 20-25 हजार रुपये खर्चा-पानी करना पड़ेगा, मैं सहायक अभियन्ता को मेरे जायज कार्य की ऐवज में रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। मेरे और एईएन के बीच कोई रंजिश एंव लेनदेन बकाया नहीं हैं। मैं इन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। अतः मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करावें। परिवादी ने रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिखित होकर इस पर अपने स्व-कलमी हस्ताक्षरित कर पेश करना व रिपोर्ट में उल्लेखित समस्त तथ्य सही होना जाहिर किया। साथ ही परिवादी ने यह भी बताया कि मेरे विद्युत कनेक्शन वाला व्यवसायिक मकान रीको औद्योगिक क्षेत्र बाड़मेर में आया हुआ हैं। परिवादी की रिपोर्ट एवं तकरीरन दरियाफ्त से मामला लोक सेवक द्वारा वैध कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आने से इस पर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रारंभ करते हुए प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया जाकर श्री मिश्रीमल हैड कानि. नं. 38 की कार्यालय कक्ष में तलबी करवाई जाकर कार्यालय अलमारी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के निकालकर इनका खाली होना सुनिश्चित कर श्री मिश्रीमल हैड कानि. नं. 38 का हाजिर परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार से परस्पर परिचय करवाकर दोनों के मोबाईल नंबरों का परस्पर आदान-प्रदान करवाया गया। परिवादी की रिपोर्ट पर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को ऑपरेट करने बाबत् परिवादी व श्री मिश्रीमल हैड कानि. को समझाईस की गई। इस दौरान परिवादी ने बताया कि अब कार्यालय समय समाप्त हो चुका है एवं मैं जब पहले सहायक अभियन्ता से कार्यालय में मिला तो उन्होने मुझे दैनिक

भास्कर कार्यालय के पास, रीको एरिया में अपने निवास स्थान पर सुबह के समय आने का बोला था, इसलिए वह कल प्रातः मेरे से अपने उक्त निवास स्थान पर ही मिलेगा। जिस पर श्री मिश्रीमल कानि. को कल प्रातः परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार से रीको औद्योगिक क्षेत्र बाड़मेर में सम्पर्क कर अग्रिम रिश्वती राशि मांग सत्यापन कराने हेतु निर्देशित किया गया एंव इस बाबत् परिवादी से मुनासिब समझाईश कर फॉरिक कर रूखसत दी गई। परिवादी की रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात एंव डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के मन् उप अधीक्षक पुलिस स्वयं की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गये। दिनांक 05.07.2024 को प्रातः श्री मिश्रीमल हैड़ कानि. नं. 38 निर्देशानुसार कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया, जिसे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के खाली होना सुनिश्चित कर सुपुर्द कर परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार से सम्पर्क कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन कराने हेतु रवाना रीको औद्योगिक क्षेत्र बाड़मेर की तरफ किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर के निर्देशानुसार चौकी हाजा के पैण्डिग प्रकरणों में विचार-विमर्श हेतु रवाना रवाना जोधपुर को हुआ था। कुछ समय बाद जोधपुर जाते समय रास्ते में परिवादी के साथ रिश्वती राशि मांग सत्यापन में गये हुए श्री मिश्रीमल हैड कानि. न. 38 ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को जरिये वाट्सअप कॉल अवगत करवाया कि निर्देशानुसार परिवादी से सम्पर्क कर उसे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर आरोपी सहायक अभियन्ता के आवास पर रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु भेजकर रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाया गया तो आरोपित सहायक अभियन्ता द्वारा परिवादी के सिंगल फेज व्यवसायिक कनेक्शन को थ्री फेज में कन्वर्ट कर लोड बढाने की ऐवज में 15000 रू. रिश्वती राशि की मांग कर वक्त सत्यापन 10,000 रू. प्राप्त कर लिये एंव शेष 5000 रू. डिमाण्ड जारी होते ही विद्युत मीटर लगने से पहले लेना तय किया हैं। जिस पर श्री मिश्रीमल हैड़ कानि0 द्वारा बताये गये तथ्यों पर परिवादी से वार्ता करने पर परिवादी ने भी श्री मिश्रीमल हैड़ कानि0 द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों की ताईद की, जिस पर परिवादी को उस समय तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने एवं श्री सुरेन्द्रकुमार बंसल सहायक अभियन्ता द्वारा मांगे गये स्टाम्प को जमा करवाकर डिमाण्ड़ नोटिस निकलने पर श्री मिश्रीमल हैड़ कानि0 से सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही हेतु ब्यूरो चौकी पर उपस्थित आने की हिदायत की गई। श्री मिश्रीमल हैड़ कानि को डिजिटल टेप रिकार्डर अपने स्वयं की सुरक्षित अभिरक्षा में रखने तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस की वापसी पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर पेश करने बाबत् निर्देशित किया गया। साथ ही उसे लगातार परिवादी के सम्पर्क में रहने की हिदायत की गई थी। दिनांक 06.07.2024 को मन् उप अधीक्षक पुलिस के बाद राजकार्य जोधपुर से चौकी हाजा में उपस्थित आने पर निर्देशानुसार श्री मिश्रीमल हैड कानि. ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय इंस्ट्रॉल सुदा मेमोरी कॉर्ड के स्वीच ऑफ स्थिति में पेश कर अपने उपरोक्त पूर्व कथनों को दोहराते हुए बताया कि निर्देशानुसार कल दिनांक 05.07.2024 को रिको औद्योगिक क्षेत्र बाडमेर में पंहुचने पर दैनिक भास्कर कार्यालय के पास, रीको के पास परिवादी उपस्थित मिला, जिस पर परिवादी को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर को ऑपरेट करने की पुनः समझाईश कर डिजिटल टेप रिकार्डर को ऑन कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाने हेतु आरोपी के मकान की तरफ रवाना किया, जिस पर परिवादी अपनी बुलेट बाईक से रवाना होकर कुछ ही दूरी पर एक मकान के सामने रुका एवं मोबाईल पर वार्ता कर उक्त मकान के अन्दर प्रवेश हुआ, मैं वहीं उस मकान के आस-पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी की वापसी के इन्तजार में व्यस्त हुआ। तकरीबन 10-12 मिनट बाद परिवादी उक्त मकान से निकलकर मेरे पास वापिस आया, जिससे डिजिटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी से रिष्वत राशि मांग सत्यापन हालात पूछने पर परिवादी ने बताया कि मैं श्री सुरेन्द्र कुमार बंसल के मकान के बाहर गया, जहाँ उनको कॉल कर मकान में प्रवेश हुआ एवं मेरे थ्री फेस कनेक्शन एवं लोड बढ़ाने के सम्बंध में वार्ता की, जिस पर उन्होने कहा कि मैं आपका काम कर दूंगा, मैंने उनसे पूछा कि आपने पहले 20-25 हजार का बोला था, कितने करने हैं, जिस पर उन्होनें कहा कि नहीं फानइल 15 हजार का ही बोला था, जिस पर मैंने कहा कि मैं 10 हजार आज लाया हूँ, जिस पर उन्होनें मेरे से 10 हजार रुपये उसी समय प्राप्त कर लिये, मैंने उनको गिनने का बोला, जिस पर उन्होंने एक बार गिनने से मना किया एवं बाद में गिन कर अपने पास रख लिये एवं बाकी 5 हजार रुपये डिमाण्ड़ निकालने या मीटर लगने से पहले देना का कहा एवं एक स्टाम्प साथ लगाने की वार्ता की एवं स्टाम्प की भाषा बाद में मुझे वाट्सअप पर भेजने की वार्ता की, एवं मेरे से 15 हजार रिष्वत की मांग कर 10 हजार रुपये उसी समय प्राप्त कर लिये एवं शेष 5 हजार रुपये की मांग की हैं, उक्त वार्ता मेरे द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड की गई हैं। परिवादी ने यह भी बताया कि अब दो दिन राजकीय अवकाश होने एवं स्टाम्प पेपर जमा करवाने हेतु मैं सोमवार या मंगलवार को उनके पास जाउंगा एवं डिमाण्ड़ निकालकर वह मेरे से शेष 5000 हजार रिष्वत राशि प्राप्त करेगा। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर को ऑन कर सुनने पर श्री मिश्रीमल हैड कानि. द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्यों की ताईद होते हुए परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार से आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार बंसल सहायक अभियन्ता द्वारा 15 हजार रिष्वत राशि की मांग कर दौराने सत्यापन 10 हजार रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करना एवं शेष रिष्वत राशि 5 हजार रुपये डिमाण्ड़ जमा करवाने के दौरान देना तय होना पाया गया। किन्तु उक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता तकनिकी कारणों से डिजिटल टेप रिकार्डर में इस्ट्रांल मेमोरी कार्ड में सेव नहीं होकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में ही सेव होना पाया गया, जिस पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा स्वयं की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। परिवादी को डिमाण्ड नोटिस जारी होने पर उसे जमा करवाकर अग्रिम कार्यवाही बाबत् मय रिश्वती राशि 5000 रू. के

ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने, प्रकरण में गोपनीयता बनाए रखने एंव लगातार सम्पर्क में रहने बाबत् श्री मिश्रीमल हैड़ कानि0 के माध्यम से जरिये मोबाईल हिदायत करवाई गई। दिनांक 10.07.2024 को श्री मिश्रीमल हैड़ कानि0 ने अवगत करवाया कि अभी कुछ समय पहले ही परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार ने मुझे वाट्सअप कॉल कर अवगत करवाया कि आज मेरे विद्युत कनेक्शन का डिमाण्ड़ नोटिस जारी होने पर मैं सहायक अभियन्ता जोधपुर डिस्कॉम रीको बाड़मेर के कार्यालय में गया, जहॉं पर श्री सुरेन्द्र कुमार बंसल सहायक अभियन्ता उपस्थित मिले एवं मेरे डिमाण्ड़ नोटिस पर हस्ताक्षर करते हुए डिमाण्ड़ राशि 14500/- रुपये जमा करवाकर शेष रिश्वती राशि 5000 रुपये भी मांगे, जिस पर मैंने कहा कि अभी मेरे पास डिमाण्ड़ जमा करवाने जितने ही रुपये हैं, जिस पर श्री सुरेन्द्र कुमार बंसल सहायक अभियन्ता ने कहा कि आप कल दिनांक 11.07.2024 को प्रातः मेरे मकान पर आकर बाकी रहे 5000 रुपये दे देना, जिस पर मैंने उन्हें उनके द्वारा मांगी गई राशि 5000 रुपये उनके घर पर देने का कहा हैं, उसके बाद मेरे द्वारा मेरे विद्युत कनेक्शन की डिमाण्ड़ राशि रसीद संख्या 1718 दिनांक 10.07.2024 राशि 14500 रुपये जमा करवा दी हैं। परिवादी के उक्त तथ्यों के आधार पर दिनांक 11.07.2024 को आरोपित सहायक अभियन्ता के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही प्रस्तावित की जाकर श्री मिश्रीमल हैड कानि. के माध्यम से परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार की ब्यूरो कार्यालय पर तलबी करवाई जाकर जरिये तेहरीर नगर परिषद बाड़मेर से श्री मोहम्मद हनीफ ए.एस.आई. के माध्यम से दो स्वतन्त्र गवाहान की तलबी करवाई जाने पर परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार व दो स्वतन्त्र गवाहान श्री मूलाराम कनिष्ट सहायक व श्री अरूणकुमार वरिष्ठ सहायक ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। जिस पर दोनों गवाहान को ब्यूरो कार्यालय में बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाकर परिचय पूछा तो उन्होनें अपना-अपना परिचय क्रमशः श्री मूलाराम पुत्र श्री हनुमानराम, जाति जाट, उम्र 32 वर्ष, पैषा नौकरी, निवासी गांव बायतु पनजी, तहसील बायतु, जिला बालोतरा हाल कनिष्ठ सहायक, नगर परिषद् बाड़मेर, मोबाईल नम्बर एवं श्री अरुण कुमार पुत्र श्री ताराचंद, जाति हरिजन, उम्र 49 वर्ष, पैशा नौकरी, निवासी हरिजन बस्ती, वार्ड संख्या 01, रेलवे कुआ नम्बर 03, गेहू रोड़ बाड़मेर हाल वरिष्ठ सहायक, नगर परिषद् बाड़मेर मोबाईल नम्बर के रूप में दिया। जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान का परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार से परस्पर परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 04.07.2024 को प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट दोनों गवाहान को पढकर सुनाई गई एंव पढने हेतु दी जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता टेप रिकॉर्डर को ऑन कर सुनाई गई। दोनों गवाहान द्वारा भी हाजिर परिवादी से रिपोर्ट के संबध में पूछताछ कर बाद तसल्ली के परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर करते हुए इस कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की मौखिक सहमति दी गई। परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार ने डिमाण्ड नं. डीएन/एलईएक्सध/758882 दिनांक 10.07.2024 का डिमाण्ड पत्र व डिमाण्ड जमा की रिसिप्ट बुक नं. 1718 दिनांक 10.07.2024 राशि 14,500 रू. की स्व-प्रमाणित छाया प्रतियां पेश की, जिन्हें शामिल मिशल किया गया। परिवादी ने बताया कि रिश्वती राशि का लेन-देन दिनांक 11.07.2024 को प्रातः रिको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित आरोपित सहायक अभियन्ता के किराये के निवास पर होना तय हुआ हैं, आरोपित 8.30 ए.एम. के बाद ऑफिस की तरफ निकल जायेगा, लिहाजा प्रातः 8.00 ए.एम. तक उसे राशि देनी हैं, एंव साथ ही परिवादी ने यह भी बताया कि आरोपित सहायक अभियन्ता ने मुझे वॉटसऐप पर कोई दस्तावेज नहीं भेजा हैं, मैंने उनके ऑफिस की अन्य पत्रावली में लगे शपथ पत्र को देखकर मेरा शपथ पत्र तैयार करवाकर पेश किया हैं, मेरी आरोपी से वॉटसऐप पर कोई वार्ता भी नहीं हुई हैं मैं उनसे सामान्य कॉल पर ही वार्ता करता आ रहा हूं। जिस पर परिवादी को दिनांक 11.07.2024 को प्रातः मय रिश्वती राशि 5000 रू. के ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर रूखस्त दी गई। इसी प्रकार दोनों स्वतन्त्र गवाहान एंव ब्यूरो स्टाफ को भी नियत समय पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने बाबत् हिदायत कर फॉरिक किया गया। दिनांक 11.07.2024 को निर्देशानुसार परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार, दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री मूलाराम कनिष्ट सहायक व श्री अरूणकुमार वरिष्ठ सहायक तथा ब्यूरो स्टाफ नियत समय पर कार्यालय हाजा में उपस्थित आये। परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार ने आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार बंसल सहायक अभियन्ता को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5000 रू. साथ में लाना बताया। जिस पर रूबरू स्वतन्त्र गवाहान परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार से आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार बंसल सहायक अभियन्ता को रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार ने आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के 500-500 रू. के 10 नोट, कुल राशि 5000 रू0 मन् उप अधीक्षक पुलिस को रूबरू गवाहान पेश किये। जिस पर उक्त नोटों के नंबर फर्द में अंकित करवाये गये, जिनके नम्बर निम्नानुसार हैं। 1 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 2 LU 290264 2 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 9 QF 987193 3 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 8 VS 877251 4 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 0 GM 730460 5 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 0 AQ 797703 6 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 1 FT 264695 7 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 4 GA 767073 8 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 3 EF 983173 9 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 1 AC 467964 10 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 4 VR 157850 कार्यालय हाजा के मालखाना को श्री सुराब खां हैड़ कानि0 97 से खुलवाया जाकर फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर श्री पवनकुमार कानि. ड्रा. 478 से उक्त 5000 रू के सभी नोटों को एक अखबार के ऊपर रखवाकर प्रत्येक नोट पर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर उक्त राशि के प्रत्येक नोट पर लगवाया गया। परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार की जामा तलाशी

गवाह श्री मूलाराम कनिष्ठ सहायक से लिवाई जाकर उसके पास कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। परिवादी का मोबाईल उसके पास रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटों को परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार के पहनी हुई पैण्ट के दांहिनी साईड की जेब में श्री पवनकुमार कानि. चालक से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को नहीं छुऐ आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार बंसल सहायक अभियन्ता के मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर उसे देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। साथ ही परिवादी को यह भी निर्देशित किया गया कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद वो इस राशि को कहां रखता हैं, या छुपाता हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए अपने सिर पर हाथ फैर कर या मन् उप अधीक्षक पुलिस या सत्यापनकर्ता श्री मिश्रीमल हैड कानि. नं. 38 के मोबाईल पर मिसकॉल/कॉल करके गोपनीय ईशारा करें। तत्पश्चात एक कांच की साफ गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री पवनकुमार कानि. चालक के हाथों की अंगुलियों एवं अगुठो को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली भांति समझाया गया। फिर गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवा कर रिश्वती राशि के नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु प्रयुक्त अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया, फिनोफथलीन पाउडर की शीशी श्री पवनकुमार कानि. चालक से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी जाकर श्री सुराब खा हैड़ कानि0 97 से मालखाना के ताला लगवाया गया तथा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में लेने वाली सामग्री वगैरा को भी साफ पानी व साबुन से दो-दो बार धुलवाया गया। फिर ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर कोई आपतिजनक वस्तु एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। मन् उप अधीक्षक पुलिस, ब्यूरो दल एवं गवाहान ने अपना-अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री पवनकुमार कानि. चालक के दोनों हाथ एक बार पुनः साफ पानी व साबुन से धुलवाकर उन्हें बरामदगी एंव धोवन की कार्यवाही तक ट्रेप दल के साथ नहीं रहकर राजकीय वाहन में ही मौजूद रहने की हिदायत की गई। इस कार्यवाही की फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब कर इस पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री पवनकुमार कानि. चालक के दोनों हाथ एक बार पुनः साफ पानी व साबुन से धुलवाकर उन्हें बरामदगी एंव धोवन की कार्यवाही तक ट्रेप दल के साथ नहीं रहकर राजकीय वाहन में ही मौजूद रहने की हिदायत की गई। तत्पश्चात मन् किशनसिह चारण, उप अधीक्षक पुलिस, ब्यूरो जाब्ता श्री मोहम्मद हनीफ स.उ.नि., श्री सोहनराम हैड कानि. 33, श्री नूर मोहम्मद हैड कानि. 56, श्री सुराब खां हैड कानि.97, श्री मिश्रीमल हैड कानि. 38, श्री अनूपसिह हैड कानि. 44, श्री बांकाराम कानि. 584, श्री लालाराम कानि. 328, श्री सहदेवसिंह कनिष्ठ सहायक, दोनों स्वतन्त्र गवाहान मूलाराम कनिष्ट सहायक व श्री अरूणकुमार वरिष्ठ सहायक एंव परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार चौकी हाजा के राजकीय वाहन बोलेरों नं. आर.जे. 14 यूसी 9364 चालक कानि. श्री पवन कुमार एवं राजकीय तथा निजी मोटर साईकिलों के प्रकरण हाजा की पत्रावली, डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स एवं अन्य आवश्यक सामग्री के ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होकर रिको औद्योगिक क्षेत्र बाडमेर में स्थित आरोपित सहायक अभियन्ता के निवास के पास पंहुचा। जहां राजकीय वाहन व निजी मोटर साईकिलों को रोककर परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार से एक बार पुनः रिश्वती राशि लेन-देन के संबध में मुनासिब समझाईश कर आस-पास की लोकेशन का नजरी अवलोकन कर ट्रेप दल को आवष्यक ब्रीफिंग की गई। बाद श्री लालाराम कानि. के माध्यम से परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय इस्ट्रांलसुदा मेमोरी कॉर्ड के ऑन कर सुपुर्द करवाकर आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार बंसल सहायक अभियन्ता से रिश्वती राशि लेन-देन बाबत् सम्पर्क करने हेतु रवाना आरोपित के किराये के आवासीय मकान की तरफ किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान वहीं आस-पास अपनी मौजूदगी छिपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में व्यस्त हुए। कुछ देर बाद स्वतन्त्र मौतबिरान के रूबरू परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार ने आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार बंसल सहायक अभियन्ता के किराये के आवासीय मकान से पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने मोबाईल नं. से श्री मिश्रीमल हैड कानि. नं. 38 के मोबाईल नं. पर वॉट्सऐप कॉल कर रिश्वत राशि लेन-देन होने की सूचना दी, जिसके बारे में उसी समय श्री मिश्रीमल हैड कानि. द्वारा मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत करवाया गया, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहियान मय राजकीय वाहन एंव मोटर साईकिलों के आरोपित के किराये के आवासीय मकान पर पंहुच सरकारी वाहन व मोटर साईकिलों से नीचे उतर कर प्रथम मंजिल पर स्थित आरोपी के किराये के रहवासीय मकान के दरवाजे पर खड़े परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार के पास पंहुच उनसे पूर्व में दिया गया डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने स्वयं की अभिरक्षा में रखा, कि परिवादी

ने कमरों के आगे चौक में बनियान व हाफ-लोअर (बरमुण्डा) पहने हुए खड़े व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही श्री सुरेन्द्रकुमार बंसल सहायक अभियन्ता हैं, इन्होनें अभी-अभी मेरे से इसी स्थान पर रिश्वती राशि 5000 रू. प्राप्त कर अपने पहने हुए हाफ-लोअर (बरमुण्डा) के दांहिने साईड की जेब में रखे, जिस पर आरोपित को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना एंव हमराहियान का परिचय देकर मन्तव्य से अवगत करवाया गया एंव इस दोरान हमराह जाब्ता के श्री लालाराम कानि. नं. 328 से उनके निजी मोबाईल में पूर्व में डलवाए गए नए मेमोरी कार्ड में विडियो रिकॉर्डिंग प्रारंभ करवाई जाकर आरोपित का परिचय पूछा गया तो उसने अपना परिचय श्री सुरेन्द्रकुमार बंसल पुत्र श्री गंगाप्रसाद, जाति अग्रवाल, उम्र 43 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी 284, आषापूर्णा सिटी, फेज सैकिण्ड, ग्राम पाल जोधपुर, हाल सहायक अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, शहर द्वितीय रिको बाड़मेर के रूप में दिया। जिस पर आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार सहायक अभियन्ता को परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार को पहचानने व इससे अभी कुछ देर पहले रिश्वती राशि प्राप्त करने के संबध में पूछा तो आरोपी ने बताया कि हां, मैं इन्हें पहचानता हूं, किन्तु इनका नाम नहीं जानता हूं, इनका काम ये जाने, पैसे भी इसने यहां आकर मुझे दिये हैं, मैंने इनसे कोई पैसे नहीं मांगे, जिस पर पुनः परिवादी के कार्य व रिश्वती राशि प्राप्त करने के बारे में पूछा तो हड़बड़ाते हुए कहा कि हां इसकी एक फाईल लगी हुई हैं, मैंने इनको नहीं बुलाया इन्होंने यहां आकर दिये हैं, रिश्वती राशि कहां रखी हैं, इस बारे में पूछने पर आरोपी ने अपने पहनी हुई हाफ-लोअर (बरमुण्डा) के दांहिने साईड की जेब की तरफ हाथ से ईशारा कर बताया कि इसमें रखी हुई हैं, फिर परिवादी के कार्य के संबध में पूछने पर परिवादी की तरफ देखते हुए बताया कि क्या काम था, फिर बताया कि इनका डिमाण्ड निकाल दिया हैं। जिस पर परिवादी ने बताया कि मेरे व्यवसायिक भवन के सिंगल फेज कनेक्षन का लोड बढाकर थ्री फेस करने का कार्य इनके पास हैं, जिनकी ऐवज में ही इनके द्वारा रिश्वती राशि की मांग कर प्राप्त की गई हैं। तत्पश्चात परिवादी के कार्य संबधित पत्रावली के बारे में पूछने पर बताया कि पत्रावली मांगूदान या अनिल बाबू के पास होगी, डिमाण्ड भरने के बाद इनमें से ही किसी एक को दी जाती हैं। जिस पर हमराह जाब्ता के श्री मोहम्मद हनीफ सहायक उप निरीक्षक पुलिस व श्री अनूपसिंह हैड कानि. को आरोपित सहायक अभियन्ता के कार्यालय से पत्रावली प्राप्त करने व आरोपित के कार्यालय कक्ष की खाना तलाशी ली जानी आवश्यक होने से कार्यालय कक्ष को तालाबन्द करवाकर निगरानी हेतु निर्देषित कर रवाना आरोपित के कार्यालय की तरफ किया गया। तत्पष्चात स्वतन्त्र गवाह श्री अरूणकुमार वरिष्ठ सहायक को आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार बसंल सहायक अभियन्ता के पहनी हुई हाफ-लोअर (बरमुण्डा) के दांहिने साईड की जेब को चैक करने हेतु कहा जाने पर गवाहान द्वारा आरोपी की उक्त जेब को चैक किया गया तो जेब में भारतीय मुद्रा के 500-500 रू0 के नोट रखे पाये गये, जिस पर उक्त राशि को स्वतन्त्र गवाह श्री अरूणकुमार से ही गिनवाया गया तो भारतीय मुद्रा के 500-500 रू. के 10 नोट, कुल राशि 5000 रू0 होने पाये गये। दूसरे स्वतन्त्र गवाह श्री मूलाराम कनिष्ठ सहायक को पूर्व में मुर्तिब सुदा फर्द पेशकशी की प्रति देकर इन नोटों के नंबरो का मिलान करवाया गया तो सभी नोटों के नंबर हुबहू फर्द पेशकशी के मुताबिक पाये जाने से उक्त बरामदा रिश्वती राशि गवाह श्री अरूणकुमार वरिष्ठ सहायक के पास सुरक्षित रखवाई गई। तत्पश्चात आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार सहायक अभियन्ता के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए आरोपित के मकान की किचन में रखे पानी के कैम्पर में से एक साफ बोतल में साफ पीने का पानी मंगवाकर इसे दो नई साफ प्लास्टिक की डिस्पोजल गिलासों में भरकर इसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार बंसल सहायक अभियन्ता के दांहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का झांईदार हो गया। जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का झांईदार होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीषीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। इसी प्रकार तैयार घोल के दूसरे गिलास में आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार बंसल सहायक अभियन्ता के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का झांईदार हो गया, जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का झांईदार होना स्वीकार किया। उक्त घोल को भी पूर्ववत् कांच की दो साफ शीषीयों में आधा-आधा भर कर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच-2 अंकित किया गया। तत्पष्चात आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार बंसल सहायक अभियन्ता के पहनी हुई हाफ-लोअर (बरमुण्डा) जिसके दांहिने साईड की जेब में से रिश्वती राशि बरामद होने से उक्त हाफ-लोअर (बरमुण्डा) की जेब का भी धोवन लिया जाना आवष्यक होने से आरोपी के पहनने हेतु उनके मकान पर कमरे के हैंगर में टंगी एक पैण्ट लाकर आरोपी को पहनने हेतु दिया जाकर उसके पहनी हुई हाफ-लोअर (बरमुण्डा) को उतरवाकर चैक किया गया तो उक्त ग्रे कलर का आगे की तरफ दो-दो लाल धारी व पीछे अन्दर की तरफ बांयी साईड में अंग्रेजी में "जॉकी" नाम प्रिण्ट सुदा होना पाया गया। पूर्ववत् उक्त के दांहिने साईड की जेब के धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए प्लास्टिक की एक साफ डिस्पोजल गिलास में साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर इस पानी में एक-दो चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी के वक्त वाका पहनी हुई हाफ-लोअर (बरमुण्डा) के दांहिने साईड की जेब को उलटवाकर तीन-चार बार डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीनों ने

गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीषीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क बी-1 व बी-2 अंकित किया गया। बाद हाफ-लोअर (बरमुण्डा) की जेब को कुछ देर तक बाहर धूप में सुखाकर जेब के अन्दर की तरफ आरोपी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसे एक सफेद कपड़े की थेली में शील्ड मौहर कर थेली पर भी संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाए जाकर इस पर मार्क-बी अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही पुलिस थाना सदर बाड़मेर पंहुच करने का निर्णय लिया जाकर आरोपी के किराये के आवासीय मकान को तालाबन्द करवाकर चाबी स्वतन्त्र गवाह श्री अरूणकुमार वरिष्ठ सहायक को संभलवाई जाकर दस्तियाब सुदा आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार बंसल सहायक अभियन्ता को हमराह लेकर मन् किशनसिंह चारण उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान तथा ब्यूरो जाब्ता के सदस्यगण मय धोवन के सील्डयुक्त पैकेट एंव रिश्वती राशि सहित ट्रेप बॉक्स, कार्यालय का लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर व अन्य आवष्यक सामग्री के जरिये सरकारी वाहन व मोटर साईकिलों के आरोपी के किराये के आवासीय मकान से रवाना होकर पुलिस थाना सदर बाड़मेर पंहुच थाना प्रभारी की मौखिक अनुमति प्राप्त कर थानाधिकारी के कार्यालय कक्ष में बैठकर प्रारंभ की जाकर स्वतन्त्र गवाह श्री अरूणकुमार वरिष्ठ सहायक जिन्हें पूर्व में बरामदा रिश्वती राशि सुरक्षार्थ सुपुर्द की गई थी, से प्राप्त कर एक बार पुनः गिनती करवाई गई तो भारतीय मुद्रा 500-500 रू. के 10 नोट, कुल राशि 5000 रू. होने पाये गये। दूसरे गवाह श्री मूलाराम कनिष्ट सहायक को पूर्व में मुर्तिब सुदा फर्द पेशकशी की प्रति देकर उक्त नोटों के नम्बरों का पुनः मिलान फर्द पेशकशी में अंकित नंबरो से करवाया गया तो सभी नोटों के नंबर हुबहु फर्द पेशकशी के मुताबिक पाये गये। उक्त राशि को एक सफेद कपडे० की थेली में शील्ड मौहर कर थेली पर कार्यवाही व नोटों संबधी विवरण लिखकर इस पर मार्क-ड अंकित कर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। प्रकरण की कार्यवाही के संबध में उच्च अफसरान से हालात निवेदन कर आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार बंसल सहायक अभियन्ता के जोधपुर स्थित निजी आवास सं. 284, आशापूर्णा सिटी, फेज सैकिण्ड, ग्राम पाल जोधपुर की खाना तलाशी हेतु श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर से निवेदन किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एंव हाथ धुलाई आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार बंसल सहायक अभियन्ता मुर्तिब कर इस पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार एवं आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार बंसल सहायक अभियन्ता के मध्य दिनांक 05.07.2024 को रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन की वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकॉर्ड सुदा को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार के सुन-सुन कर शब्द-बषब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री मिश्रीमल हैड कानि. के सहयोग से श्री लालाराम कानि. नं. 328 द्वारा कार्यालय लेपटॉप से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। इस वार्तालाप की कार्यालय लेपटॉप के माध्यम से एक मेमोरी कार्ड सेनडिस्क 16 जीबी व एक सीडी तैयार कर मेमोरी कार्ड सेनडिस्क 16 जीबी को मूल मानते हुये एक सफेद कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर फर्द व थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की सील्डयुक्त थेली पर मार्क "क्" अंकित किया गया, एवं सीडी को डब मानते हुये खुला रखा गया। आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार बंसल व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार द्वारा की गई। प्रकरण हाजा में घटनास्थल निरीक्षण तथा आरोपित के किराये के आवासीय मकान व कार्यालय कक्ष की खाना तलाशी तथा परिवादी के कार्य संबधित पत्रावली प्राप्त करने एंव साथ ही प्रकरण में रिश्वती राशि बरामदगी एंव हाथ धुलाई कार्यवाही पूर्ण होने से अग्रिम कार्यवाही एसीबी कार्यालय बाड़मेर पंहुच करने का निर्णय लिया जाकर मन् किषनसिंह चारण उप अधीक्षक पुलिस, परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार, दोनों गवाहान श्री मूलाराम कनिष्ट सहायक व श्री अरूणकुमार वरिष्ठ सहायक, आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार बंसल सहायक अभियन्ता को हमराह लेकर मय ब्यूरो जाब्ता श्री सोहनराम हैड कानि. 33, श्री नूर मोहम्मद हैड कानि. 56, श्री सुराब खां हैड कानि.97, श्री मिश्रीमल हैड कानि.38, श्री बांकाराम कानि.584, श्री लालाराम कानि.328, श्री सहदेवसिह कनिष्ठ सहायक मय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, मालखाना आईटम्स सील्डयुक्त बरामदा रिश्वती राशि 5000 रू., धोवन की शीषियां मार्क आर.एच.-1, आर.एच. -2, एल.एच.-1, एल.एच.-2, बी-1, बी-2, हाफ-लोअर (बरमुण्डा) पैकेट मार्क बी, रिश्वती राशि मांग सत्यापन का सील्डयुक्त मेमोरी कार्ड एंव डब सीडी आदि के जरिये सरकारी वाहन एंव वाहन चालक श्री पवनकुमार तथा हमराह लाई गई मोटर साईकिलों के घटना/बरामदगीस्थल का निरीक्षण करने, आरोपित के किराये के रहवासीय मकान एंव कार्यालय कक्ष की खाना तलाशी एंव परिवादी के कार्य संबधित पत्रावली को प्राप्त करने हेतु रवाना होकर घटनास्थल रिको औद्योगिक क्षेत्र बाड़मेर में स्थित आरोपी के रहवासीय मकान पर पंहुच दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री अरूणकुमार वरिष्ठ सहायक व श्री मूलाराम कनिष्ठ सहायक तथा आरोपित श्री सुरेन्द्रकुमार बंसल की मौजूदगी में आरोपित के किराये के आवसीय मकान की खाना तलाशी ली जाकर खाना तलाशी कार्यवाही की श्री लालाराम कानि. के निजी मोबाईल में लगे मेमोरी कार्ड में विडियोग्राफी करवाई जाकर उक्त कार्यवाही की फर्द खाना तलाशी मुर्तिब कर इस पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल मिशल की गई। ताबाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार की निषांदेही में घटना/बरामदगीस्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्षा नजरी एंव हालात मौका मुर्तिब कर इस पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। बाद मन् डी.वाई.एस.पी. मय हमराहियान रवाना होकर इसी रिको क्षेत्र में पास ही

स्थित आरोपित के कार्यालय सहायक अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम शहर द्वितीय रिको क्षेत्र बाड़मेर पंहुचा, जहां पूर्व से निगरानी हेतु मामुरा श्री मोहम्मद हनीफ ए.एस.आई. उपस्थित मिले, जिन्होनें बताया कि निर्देशानुसार वक्त घटना से ही आरोपित के कार्यालय कक्ष को तालाबन्द करवाकर मेरे द्वारा लगातार निगरानी की जा रही हैं। कार्यालय में इक्का-दुक्का टैक्नीशियन को छोड़कर अन्य कोई अधिकारी एंव कार्यालय कर्मचारी सुबह से यहां नहीं आये हैं तथा कार्यालय की आवश्यक सूचना उच्च अफसरान को आज ही भिजवाने का मेल प्राप्त होने से श्री अनूपसिंह हैड कानि. को निर्देशानुसार कुछ समय पहले यहां से फॉरिक कर एसीबी कार्यालय की तरफ रवाना किया गया। जिस पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान एंव आरोपित श्री सुरेन्द्रकुमार सहायक अभियन्ता की उपस्थिति में आरोपित के कार्यालय कक्ष की हस्ब कायदा खाना तलाशी ली जाकर खाना तलाशी कार्यवाही की श्री लालाराम कानि. के निजी मोबाईल में लगे मेमोरी कार्ड में विडियोग्राफी करवाई जाकर उक्त कार्यवाही की फर्द खाना तलाशी मुर्तिब कर इस पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल मिशल की गई। बाद मन् डी.वाई.एस.पी. मय हमराहियान आरोपित श्री सुरेन्द्रकुमार बंसल सहायक अभियन्ता एंव परिवादी के कार्य संबधित मूल पत्रावली पृष्ठ सं. 01 से 30 तक को हमराह लेकर रवाना होकर एसीबी कार्यालय बाड़मेर पंहुचा। दस्तियाब सुदा आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार बंसल सहायक अभियन्ता एंव मालखाना आईटम्स की निगरानी हेतु श्री सुराब खां हैड कानि. मय जाब्ता को निर्देशित किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार एवं आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार बंसल सहायक अभियन्ता के मध्य दिनांक 11.07.2024 को रूबरू हुई रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकार्डर में इंस्ट्रॉल मेमोरी कॉर्ड SADISK 16 GB में रिकॉर्ड सुदा को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार के सुन-सुन कर शब्द-बषब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि लेन-देन वार्तालाप मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री मिश्रीमल हैड कानि. के सहयोग से श्री लालाराम कानि. नं. 328 द्वारा कार्यालय लेपटॉप से मुर्तिब की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सीडी तैयार कर एक सीडी को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर फर्द व थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सीडी की सीलयुक्त थेली पर मार्क "L" अंकित किया गया, एवं दूसरी सीडी को डब मानते हुये खुला रखा गया। आरोपी व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार द्वारा की गई। बाद परिवादी एंव दोनों स्वतन्त्र गवाहान के रूबरू ट्रेप कार्यवाही में वक्त लेन-देन वार्ता की रिकॉर्डिंग हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कॉर्ड SADISK 16 GB जो मूल ही डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से सुरक्षित हालात में निकालकर मेमोरी कार्ड को कार्ड कवर में पैक कर इसे एक कागज के लिफाफे में रखकर लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को शील्ड मोहर कर फर्द जब्ती मेमोरी कार्ड मुर्तिब की गई। उक्त फर्द व कपड़े की थैली पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क M-1 अंकित किया गया। परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार के कार्य संबधित लोड एक्सटेंशन (विद्युत भार पत्रावली) आवेदक श्री मेहराराम पुत्र श्री वालाराम, नियर वेस्टराज फैक्टरी, महादेव टॉवर बाड़मेर एप्लीकेशन नं. CP3000558066 दिनांक 28.06.2024 की पत्रावली दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री अरूणकुमार वरिष्ठ सहायक व श्री मूलाराम कनिष्ट सहायक के रूबरू श्री मेघराज कनिष्ट अभियन्ता द्वारा पेश की गई, जिनका अवलोकन किया जाकर पत्रावली प्रकरण में वांछित होने से परिवादी का अग्रिम कार्य बाधित नहीं हो, इसलिए पत्रावली की फोटो प्रति करवाकर पेशकर्ता श्री मेघराज कनिष्ट अभियन्ता से प्रमाणित करवाकर जरिये फर्द पेशकशी के कब्जा ब्यूरो ली गई, तथा परिवादी के अग्रिम कार्य हेतु मूल पत्रावली पुनः श्री मेघराज कनिष्ट अभियन्ता को सुपुर्द कर नियमानुसार परिवादी का बकाया कार्य सम्पादित करने की हिदायत की गई। फिर रिश्वती राशि मांग सत्यापन व रिश्वती राशि लेन-देन वार्ताओं की डब सीडी में रिकॉर्डिंग वार्तालापों में आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार बंसल सहायक अभियन्ता की आवाज पहचान करने हेतु रिकॉर्डिंग वार्ताओं के महत्वपूर्ण अंश आरोपित के कार्यालय में पदस्थापित कॉर्मिकगण श्री मेघराज कनिष्ट अभियन्ता व श्री दिलीपकुमार वाणिज्यिक सहायक प्रथम को रूबरू मौतबिरान सुनवाये जाकर आरोपित सहायक अभियन्ता के आवाज पहचान करवाई गई । उक्त कार्यवाही की हस्ब कायदा फर्द "आवाज पहचान आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार बंसल सहायक अभियन्ता" मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण हाजा में सम्पादित उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार बंसल सहायक अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम उपखण्ड शहर द्वितीय रिको बाड़मेर के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) प्रमाणित पाया जाने से आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार बंसल पुत्र श्री गंगाप्रसाद, जाति अग्रवाल, उम्र 43 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी 284, आशापूर्णा सिटी, फेज सैकिण्ड, ग्राम पाल जोधपुर, हाल सहायक अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, शहर द्वितीय रिको बाड़मेर को इनके द्वारा किए गए जुर्म से आगाह कर इसे ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाकर अन्तर्गत धारा 35 बी.एन.एस.एस. 2023 के प्रावधानों के तहत जरिये फर्द गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपित के कहेनुसार उसके कार्यालय में पदस्थापित स्टाफ साथी श्री प्रमोदकुमार मीना टैक्नीशियन-II को दी गई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 के अन्तर्गत भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आरोपी का गिरफ्तारी मीमो भी हस्ब कायदा पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। ताबाद दोनों स्वतन्त्र मौतबिरान के रूबरू परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार की उपस्थिति में वक्त ट्रेप रिश्वती राशि की बरामदगी एंव आरोपित के किराये के आवासीय मकान तथा कार्यालय कक्ष की खाना तलाशी कार्यवाही की श्री लालाराम कानि. नं.

328 के निजी मोबाईल में लगे मेमोरी कार्ड SADISK 16 GB में श्री लालाराम कानि. के माध्यम से ऑडियो-विडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई थी, श्री लालाराम कानि. नं. 328 के माध्यम से उक्त मेमोरी कार्ड SADISK 16 GB मूल ही कानि. के निजी मोबाईल से सुरक्षित हालत में निकालकर रूबरू मौतबिरान एंव परिवादी के उक्त मेमोरी कार्ड में विद्यमान ऑडियो-विडियो रिकॉर्डिंग (रिश्वती राशि बरामदगी, आरोपी के किराये के आवासीय मकान की खाना तलाशी एंव आरोपी के कार्यालय कक्ष की खाना तलाशी सहित 03 फोल्डर) के तीनों फोल्डर की संयुक्त रूप से कार्यालय लेपटॉप के माध्यम से एक डब मेमोरी कार्ड सेनडिस्क 16 जीबी तैयार करवाया गया, इसी प्रकार कार्यालय लेपटॉप के माध्यम से तीनों फोल्डर के अलग-अलग फोल्डर/कार्य वार एक-एक ओर डब मेमोरी कार्ड सेनडिस्क 16 जीबी (कुल 03 मेमोरी कार्ड) तैयार करवाये गये । मूल मेमोरी कार्ड SADISK 16 GB को कार्ड कवर में पैक कर इसे एक कागज के लिफाफे में डालकर मेमोरी कार्डयुक्त लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को सीव्ड मौहर कर इस पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क M-2 अंकित कर फर्द शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार बंसल का राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर रात्रि सुरक्षार्थ पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर की हवालात में जमा करवाया गया। प्रकरण के समस्त मालखाना प्रादर्श (आईटम) प्रभारी मालखाना श्री सुराब खां हैड कानि. नं. 97 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। गिरफ्तार सुदा अभियुक्त को दिनांक 12.07.2024 को माननीय विषिष्ठ न्यायालय, भ्र.नि.अ. जोधपुर संख्या 01 के समक्ष पेश कर अभियुक्तगण के संबध में माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त किये जाने वाले आदेशों की पालना होगी। उपरोक्त हालात से आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार सहायक अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड उपखण्ड शहर द्वितीय रिको बाड़मेर द्वारा लोकसेवक होते हुए अपने पद् का दुरूपयोग कर भ्रष्ट व अवैध तरीके से परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार के पिता श्री मेहराराम के नाम से रिको औद्योगिक क्षेत्र बाड़मेर में स्थित व्यवसायिक भवन के सिंगल फेज विद्युत कनेक्षन को श्री फेज 15 किलो वॉट में परिवर्तित करने की ऐवज में आरोपित श्री सुरेन्द्रकुमार बंसल सहायक अभियन्ता, रिको बाड़मेर द्वारा परिवादी से वक्त सत्यापन दिनांक 05.07.2024 को 15,000 रू. रिश्वती राशि की मांग कर 10,000 रू. प्राप्त किये एंव शेष 5000 रू. डिमाण्ड जारी होकर भरने पर लिया जाना तय करने के फलस्वरूप आरोपित द्वारा दिनांक 10.07.2024 को परिवादी का डिमाण्ड जारी कर जमा करवाया जाकर शेष रिश्वती राशि 5000 रू. की मांग की गई। जिस पर दिनांक 11.07.2024 को आरोपित के विरूद्ध स्वतन्त्र गवाहान के रूबरू ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर आरोपित को रिको क्षेत्र बाडमेर में स्थित अपने किराये के आवासीय मकान पर परिवादी से उक्त तय सुदा रिश्वती राशि 5000 रू. प्राप्त करते हुए को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाने से आरोपित के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) का जुर्म घटित होना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार बंसल पुत्र श्री गंगाप्रसाद, जाति अग्रवाल, उम्र 43 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी 284, आशापूर्णा सिटी, फेज सैकिण्ड, ग्राम पाल जोधपुर, हाल सहायक अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, शहर द्वितीय रिको बाड़मेर के विरूद्ध अन्तर्गत जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावें। भवदीय (किशनसिंह चारण) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर, ...कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री किशन सिह चारण, उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार बंसल पुत्र श्री गंगाप्रसाद, उम्र 43 वर्ष, निवासी 284, आशापूर्णा सिटी, फेज सैकिण्ड, ग्राम पाल जोधपुर, हाल सहायक अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, शहर द्वितीय रिको बाड़मेर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री कुयाराम, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 821 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 731-34 दिनांक 12.07.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर । 2. सचिव (प्रशासन) जोधपुर डिस्कॅाम जोधपुर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर । 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बाड़मेर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** KUYARAM **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 12/07/2024 19:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1981				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)